न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –10/2013 एवं 11/2013 जिला सीकर ।

1. गिरधारी लाल
2. रामगोपाल
पुत्रान स्व. श्री महादेव, जाति कुम्हार, निवासी ग्रम अजीतगढ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमति विद्या देवी तथाकथित पुत्री स्व. श्री देवी सहाय, वास्तविक पुत्री स्व. श्री चुन्नी लाल कुम्हार, जाति कुम्हार, निवासी ग्रम नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. श्री जीवणराम पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्रम अजीतगढ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर , तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
4. सरपंच, ग्रम पंचायत अजीतगढ, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 5.11.2012
बाबत नामांतरकरण संख्या 991 दिनांक 5.6.2008

अपील संख्या 11/ 2013 जिला सीकर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. गिरधारी लाल
2. रामगोपाल
पुत्रान स्व. श्री महादेव, जाति कुम्हार, निवासी ग्रम अजीतगढ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमति विद्या देवी तथाकथित पुत्री स्व. श्री देवी सहाय, वास्तविक पुत्री स्व. श्री चुन्नी लाल कुम्हार, जाति कुम्हार, निवासी ग्रम नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर , तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
4. सरपंच, ग्रम पंचायत अजीतगढ, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री संजय शर्मा
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 27.3.2018

यह दोनों अपीलें क्रमशः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 5.11.2012 बाबत नामांतरकरण संख्या 991 दिनांक 5.6.2008 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों प्रकरणों के तथ्य , विषयवस्तु , पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम अजीतगढ, तहसील श्रीमाधोपुर , जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32/2584, 52, 53 कुल किता 6 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर का खातेदार देवी सहाय पुत्र नन्द लाल कौम कुम्हार था जिसके फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 991 पटवारी हल्का द्वारा जीवण राम पुत्र देवी सहाय एवं विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत अजीतगढ ने दिनांक 5.6.2008 को गिरधारी लाल पुत्र महादेव कुमावत निवासी अजीतगढ के प्रार्थना पत्र के आधार पर , कब्जा काश्त नहीं होने, वैध उत्तराधिकारी नहीं होने तथा देवी सहाय कुमावत द्वारा विक्रय करने के कारण नामांतरकरण अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्यादेवी पुत्री देवी सहाय द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.11.2012 द्वारा पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 991 विरासत के आधार पर सही खोले जाने तथा ग्रम पंचायत ने नामांतरकरण पर निर्णय करते समय मृतक खातेदार के वारिसान की कोई जॉच नहीं करने तथा अपीलान्ट की सुनवाई किये बिना नामांतरकरण खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत अजीतगढ द्वारा नामांतरकरण संख्या 991 में पारित निर्णय दिनांक 5.6.2008 खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदार देवी सहाय के वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया , के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 10/2013 पर दर्ज की गई ।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार ने दिनांक 10.12.2012 को मृतक खातेदार देवी सहाय की विरासत का नामांतरकरण विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम दर्ज करने हेतु पटवारी अजीतगढ को लिखे जाने का आदेश पारित किया एवं पत्र क्रमांकः भू.अ./2012/43 दिनांक 29.1.2013 पटवारी हल्का को देवी सहाय की विरासत का नामांतरकरण विद्यादेवी के नाम दर्ज कर बाद जॉच निर्णय हेतु पेश करने हेतु लिखा गया जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 1627 विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने दिनांक 30.1.2013 को स्वीकृत किया है । उक्त नामांतरकरण

संख्या 1527 दिनांक 30.1.2013 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 11/2013 पर दर्ज की गई ।

अपीलान्ट्स द्वारा दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 5.11.2012 एवं इसकी अनुपालना में खोले गये नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 निरस्त किये जाकर विवादित भूमि को अपीलान्ट के नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट विद्या देवी एवं जीवणराम की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार देवी सहाय ने भूमि अपीलान्ट को दिनांक 9.5.1974 को विक्रय करदी थी तथा विक्रय अनुबन्ध के परिणामस्वरूप एक लिखावट श्री शिवनारायण शेखावत की कलम से गवाह सूरजमल जाट की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर करवाकर तथा अपने हस्ताक्षर करते हुये अपीलान्ट को सम्भला दी थी ओर तभी से अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज काश्त है तथा नामांतरकरण संख्या 991 में अपीलार्थी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है । खातेदार देवी सहाय विक्रय के 2–3 माह बाद ही ग्रम अजीतगढ छोडकर लापता हो गया था, जो काफी तलाश कर विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने का अपीलान्ट ने अथक प्रयास किया किन्तु देवी सहाय से सम्पर्क नहीं हो सका ओर इसी वजह से राजस्व अभिलेख में देवी सहाय के नाम विवादित भूमि अंकित चली आ रही है , लेकिन 45 वर्षों से विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रकरण में प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार थे , लेकिन रेस्पोंडेन्ट ने अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया ओर अकेली रेस्पोडेन्ट विद्यादेवी ने मृतक खातेदार देवी सहाय की भूमि का नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 अपने नाम स्वीकृत करा लिया , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट विद्या देवी ने पूर्व में दिनांक 16.4.2008 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृतक खातेदार देवी सहाय के उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं को एवं रेस्पोंडेन्ट जीवण राम का नाम अंकित करते हुये दोनों के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने की प्रार्थना की थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपने कथनों के विपरीत न तो जीवणराम को पक्षकार बनाया ओर न ही उसके संबंध में कोई अनुतोष चाहा , जिससे विद्या देवी की बदनियति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट की अपील मियाद बाहर थी, लेकिन विलम्ब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने भी चार वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील के निर्णय में मियाद के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरन्दाज किया जाना विधिक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक निष्कर्ष अंकित नहीं कर केवल केवल रेस्पोंडेन्टस् को ग्रम पंचायत द्वारा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करने से नामांतरकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध मानते हुये अपील स्वीकार की है , जो विधिसम्यक नहीं है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 991 पर ग्रम पंचायत ने नोटिस जारी कर आम सूचना प्रकाशित करते हुये दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचायत मिटिंग में

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय किया है । उनका कहना था कि नामांतरकरण पर आई.एल.आर. ने अंकित किया है कि " जॉच के मुताबिक जमाबन्दी अंकन दुरूस्त है देवी सहाय फौत हो गया है । खातेदार के एक पुत्र जीवणराम एवं एक पुत्री विद्या है, वारिसान की जॉच हेतु मतदाता सूची का अवलोकन किया गया तो जीवणराम के पिता का नाम चुन्नी लाल है । मौतविरान से जानकारी करने पर बताया गया कि देवी सहाय ने अपने पुत्र जीवणराम को बचपन में ही चुन्नी लाल को दे दिया था । ग्रम पंचायत वारिसान की पूर्ण जानकारी कर आदेश फरमावें " । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट को अनुचित लाभ पहुॅचाने की दृष्टि से बिना विधिक टिप्पणी के अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी की पत्रावली की आदेशिका में ना तो सरपंच ग्रम पंचायत को सम्मन जारी होने ओर ना ही तामील होने का कोई विवरण है और ना ही प्रश्नगत नामांतरकरण को तलब करने या उपलबध होने का कोई विवरण अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा वर्णित प्रकिया की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 भी अपीलान्ट को बिना सुने तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः दोनो अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 5.11.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 निरस्त किये जाकर विवादित भूमि अपीलान्ट्स के नाम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रकरण मृतक देवी सहाय की विरासत का होने से उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश से देवी सहाय की खातेदारी भूमि का नामांतरकरण खातेदार के वारिसान की जॉच कर निर्णित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि खातेदार देवी सहाय से क्रय करने के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराना चाहते है , लेकिन भूमि क्रय के संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रकरण मे विवाद मृतक खातेदार देवी सहाय की विरासत का है । मृतक खातेदार देवी सहाय की विरासत का नामांतरकरण संख्या 991 पटवारी हल्का द्वारा जीवण राम पुत्र देवी सहाय एवं विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत अजीतगढ ने दिनांक 5.6.2008 को गिरधारी लाल पुत्र महादेव कुमावत निवासी अजीतगढ के प्रार्थना पत्र के आधार पर , कब्जा काश्त नहीं होने, वैध उत्तराधिकारी नहीं होने तथा देवी सहाय कुमावत विक्रय करने के कारण नामांतरकरण अस्वीकार किया गया , के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत अजीतगढ द्वारा नामांतरकरण संख्या 991 में पारित निर्णय दिनांक 5.6.2008 खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदार देवी सहाय के वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया , जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 रेस्पोंडेन्ट

विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम तस्दीक किया है । अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार देवी सहाय से भूमि क्रय किये जाने के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित कराना चाहते हैं , लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया ।

चूंकि प्रकरण में मृतक खातेदार देवी सहाय के एक पुत्र जीवनराम व एक पुत्री विद्या देवी है । लिखावट दिनांक 30.10.64 की फोटो प्रति के अनुसार मृतक खातेदार देवी सहाय ने अपने 11 साल के पुत्र को चुन्नी लाल को गोद दिया था । फोटो प्रति मतदाता सूची विधानसभा निर्वाचन नामावली 1988 के क्रम संख्या 314 पर जीवनराम /चुना अंकित है । रेस्पोंडेन्ट विद्या देवी विवादित भूमि के मृतक खातेदार देवी सहाय की पुत्री होने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश से विद्या देवी की अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 991 में पारित निर्णय दिनांक 5.6.08 खारिज किया जाकर खातेदार देवी सहाय के वारिसान की जॉच कर नामांतरकरण निर्णित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 रेस्पोंडेन्ट विद्या देवी पुत्री देवी सहाय के नाम तस्दीक किया है , जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 5.11.2012 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1627 दिनांक 30.1.2013 को उचित एवं विधिसम्यक मानते हुये अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर